(11)

उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी –हनुमानसिंह राठोड आर.ए.एस.

राजस्व अपील सख्या – 2/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटस्
1. मीठालाल पुत्र त्रिकमाजी 2. लीलारामजी पुत्र त्रिकमाजी जातियान पुरोहित निवासीगण सोमता तहसील जसवंतपुरा जिला –जालोर		1. ग्राम पंचायत भरूड़ी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत भरूड़ी पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर 2. कालूखां पुत्र रावताजी 3. सलीमखां पुत्र मुंसेखांजी 4. उस्मानखां पुत्र मुंसेखांजी 5. उसी पत्नि पुंसेखांजी 6. असकरखां पुत्र पूनेखांजी 7. दिनेश खां पुत्र पूनेखांजी 8. रमेशखां पुत्र पूनेखांजी 9. सुकी पत्नी पूनेखांजी 10. रसूखां पुत्र रावताजी 11. कसमखां पुत्र रावताजी जातियान कोटवाल निवासीगण भरूड़ी तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

अपील बनाराजगी

नामांतकरण संख्या 736 दिनांक 20.02.2018 सरपंच ग्राम पंचायत भरूड़ी

निर्णय **दिनांक** 5/X/2018

अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट ने बेचानकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 2 से 11 से सरहद मौजा भरूड़ी में आराजी ख0न0 499 रकबा 1.63 है0 जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 14.12.2017 को खरीद की तथा खरीदसुदा आराजी पर वक्त खरीद भौतिक कब्जा प्राप्त किया। जब उक्त वर्णित संपूर्ण आराजी अपीलांट ने रेस्पोडेंट 2 से 11 की बजाय अपीलांटस् का नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतू पटवारी हल्का भरूड़ी द्वारा नामांतरकरण संख्या 736 खोला जाकर भू0अ0 निरीक्षक से जांच करवाई गई। व मूल पत्रावली रेस्पोडेंट न0 1 ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांटस को कोई सूचना या नोटिस दिये बगैर बिना सुनवाई प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार नामांतरकरण विवादास्पद मानकर अस्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नामंतरकरण अस्वीकृत कर कानूनी व वाक्याती भूल की है। नामांतरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेंट ग्राम पंचायत भरूडी द्वारा अपीलांट को सुनवाई को कोई अवसर नहीं दिया तथा सारी कार्यवाही अपीलांटस् की पीठ पीछे राजनैतिक दुर्भावनावश अवैध रूप से की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण अस्वीकार करने की सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलांटस् के हक में स्वीकार फरमाया जावें। ग्राम पंचायत भरूड़ी के प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार अपीलांटस् के हक में भरा गया। नामांतरकरण संख्या 736 अस्वीकृत किया गया, जो मात्र अपीलांटस् को तंग व पेरशान करने के उद्देश्य से

उपखण्ड अधिकारी,
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

मिथ्या तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता बरगत खां वगैरा द्वारा पेश फर्जी व मिथ्या शिकायत के आधार पर विवादास्पद मानते हुए अस्वीकृत कर दिया जबकि अस्वीकृत करने संबंधी शिकायत की सत्यता की जांच नही की गई है। जबकि अपीलांटस द्वारा विधिवत रूप जरिये दिनांक 14.12.2017 के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जिससे म्यूटेशन संख्या 736 को अस्वीकृत किया, उसे हर हाल में अपीलांटस् के हम में स्वीकृत फरमाया जावें।

अपीलांटस् द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त नामांतरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत भरूड़ी द्वारा प्रार्थीगण को कोई सूचना या नोटिस नही दिया एवं न ही सुनवाई की गई। अपीलाधीन ओदश की जानकारी सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.04.2018 को करवाई गई, तब अपीलांटस् ने उपतहसील रामसीन में नकल हेतू दिनांक 16.04.18 को आवेदन पेश किया तथा 20.04.18 को नकल प्राप्त हुई । उस दिन पूर्ण जानकारी हुई, फिर भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 को पारित होने से आदेश दिनांक 20.02.2018 को पारित होने से आदेश दिनांक से अपील को अंदरम्याद शुमार करना न्यायासंगत है। उक्त विलंब क्षम्य योग्य फरमाया जावें।

हमनें रेस्पोडेंट न0 1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ तथा रेस्पोडेंट न0 2 से 11 के वास्ते श्री राहुल गोस्वामी अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, प्रकरण का अवलोकन किया गया ।सरहद मौजा भरूड़ी राजस्व रेकर्ड में दर्ज आराजी ख0न0 388 रकबा 0.82 है0 व ख0न0 499 रकबा 1.63 है0 के खातेदार अस्कर खां, दिनेश खां, रमेश खां पिसरान पुनेखां , सुकी बेवा पुनेखां , कालुखां, रसूखां,कसमखां पिता रावता, सलीम, उस्मान पि0 पुसेखां, मु0 उसी बेवा पुसे खां कौम कोटवाल साकिन देह खातेदार दर्ज है कालूखां वल्द रावता, सलीम,उस्मान पि0 पुसेखां, उसी पत्नि पुसेखां जाति कोटवाल निवासी भरूड़ी द्वारा मौजा भरूड़ी के ख0न0 499 रकबा 1.63 है0 में से अपना संपूर्ण हिस्सा खरीददार मीठालाल पुत्र त्रिकमाजी पुरोहित को जरिये पंजीकृत दस्तावेज व अस्कर खां, दिनेश , रमेश खां पि0 पुनेखां, सुकी पत्नि पुनेखा, रसूकखां, कसमखां पि0 रावता जाति कोटवाल निवासी भरूड़ी द्वारा आराजी ख0न0 499 रकबा 1.63 है0 में से अपना संपूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत दस्तावेज खरीददार लीलाराम वल्द त्रिकमाजी पुरोहित निवासी सोमता को बेचान किया गया है तथा उक्त दस्तावेजो के आधार पर जरिये नामांतरकरण 736 खोला जाकर पटवारी हल्का द्वारा नि0भू0 को प्रस्तुत किया गया व ग्राम पंचायत द्वारा 20.08.2018 का प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार अस्वीकृत किया गया। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामांतरकरण द्वारा शिकायतकर्ता बरगत खां वगैरा की लिखित शिकायत की आधार पर उक्त शिकायत पर सदन में विचार विमर्श किया जाकर नामांतरकरण विवादास्पद होने पर खारिज किया गया लेकिन अपने ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव में विवादास्पद के संबंध में संपूर्ण रूप से जाचं नहीं की गई है, केवल मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत पर विवादास्पद मानकर नामांतरकरण खारिज किया गया जो न्यायोचित्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किये गये नामांतरकरण संख्या 736 के संबंध में जांच करवायी जाकर विधि के अनुरूप अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

अतः अपीलांटस् की अपील अंदरमयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 736 पर प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार ग्राम पंचायत भरूड़ी द्वारा दिनांक 20.08.2018 को दिये गये आदेश को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जसवंतपुरा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि दोनों पक्षकारों का विधिसम्मत सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत रूप से जांच कर नियमानुसार नामांतकरण पर निर्णय लिया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जसवंतपुरा को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/x/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner